

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 52 : Payment voucher

A payment voucher referred to in clause (g) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely:—

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier if registered;
 - (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year
 - (c) date of its issue;
 - (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;
 - (e) description of goods or services;
 - (f) amount paid;
 - (g) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
 - (h) amount of tax payable in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
 - (i) place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce; and
 - (j) signature or digital signature of the supplier or his authorized representative.
-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 52 : संदाय वाउचर

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट संदाय वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह – हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः “-” और “/” के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा ;
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
- (ङ.) मालों या सेवाओं का विवरण;
- (च) संदत्त रकम;
- (छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (ज) कराधेय मालों या सेवाओं के संबंध में कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (झ) अंतःराज्य व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में प्रदाय की दशा में राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान और उसका कूट; और
- (ञ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।